



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
अध्यक्ष, मो. 094140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के. झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
ज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दुल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 53244-

दिनांक : 07.11.2020

श्रीमान कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया,
भारत सरकार,
पॉकेट-9, दीनदयाल मार्ग,
नई दिल्ली- 110124

विषय:- राजस्थान राज्य में 1254 एलडीसी/कनिष्ठ सहायक बैकलॉग भर्ती
घोटाले से पब्लिक फण्ड को होने वाले रुपये 39584 करोड़ के नुकसान
को रोकने के लिए तत्काल विशेष अंकेक्षण करवाने बाबत।

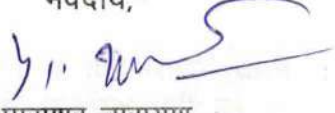
महोदय,

विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य में कुछ अधिकारियों एवं राजनेताओं की मिलीभगत से एलडीसी/कनिष्ठ सहायक के 1254 पदों पर बैकलॉग के नाम से पूरी तरह अविधिक भर्ती की जा रही है। इसकी शिकायत प्रिंसिपल एकाउण्टेंट जनरल, जयपुर को दिनांक 07.07.2020 को की गई थी (प्रति संलग्न)। इसके बाद हमें आरटीआई आवेदनों के जवाब में जो प्रमाण मिले उन 15 सरकारी पत्रों की सूची भेजी गयी थी जिनसे प्रमाणित होता है कि किसी भी विभाग में बैकलॉग पद हैं ही नहीं। इन 1254 पदों पर अविधिक भर्ती से जो राज्य सरकार को आने वाले 35-37 वर्षों में रुपये 39584 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है, उसकी गणना रिपोर्ट, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त वित्तीय सलाहकार से अनुमोदित करवाकर प्रेषित की गयी थी। इस पत्र दिनांक 15.10.2020 की फोटो प्रति भी संलग्न है। इस घोटाले की विशेष अंकेक्षण तत्काल करवाने का प्रार्थना भी की गयी थी।

दुर्भाग्य से अभी तक उपरोक्त प्रकरण में विशेष अंकेक्षण की शुरुआत नहीं की गयी है। आपसे प्रार्थना है कि श्रीमान प्रिंसिपल एकाउण्टेंट जनरल, जयपुर को उपरोक्त प्रकरण में तत्काल विशेष अंकेक्षण करने तथा रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने को निर्देशित कर अनुमोदित करें।

सादर,

भवदीय,


पाराशर नारायण
अध्यक्ष

संलग्न:-

1. प्रिंसिपल एकाउण्टेंट जनरल, जयपुर को की गई शिकायत की प्रति।
2. सेवानिवृत्त वित्तीय सलाहकार से अनुमोदित गणना रिपोर्ट की प्रति।

53245
प्रति:- श्रीमान प्रिंसिपल एकाउण्टेंट जनरल ऑडिट-प्रबन्ध, कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्टेट्यू सिकल, जयपुर-302005 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
अध्यक्ष

हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 098290-78688

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया

महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर

ऋषिराज राठौड़

मो. 9694348039

अजमेर

एन. के. झामड़

मो. 9414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गोयल

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

मो. 9414085447

कोटा

डॉ. अनिल शर्मा

मो. 9414662244

उदयपुर

दुल्हा सिंह चूणडावत

मो. 9571875488

क्रमांक 53108

दिनांक : 15.10.2020

श्रीमान प्रिंसिपल एकाउण्टेण्ट जनरल ऑडिट-प्रथम,
कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,
स्टेच्यू सर्किल,
जयपुर-302005

विषय:- चालू वर्ष में कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक बैकलॉग 1254 पदों पर
अविधिक भर्ती से होने जा रहे राज्य सरकार को 3,95,84,48,63,040/-
(39585 करोड़ रुपये) के अनुमानित नुकसान को रोकने तथा जिम्मेवार
अधिकारियों को दण्डित किये जाने बाबत।

सन्दर्भ:-आपको पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र क्रमांक 50467 दिनांक 07.07.2020

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि कृपया उक्त शिकायती पत्र क्रमांक 50467 दिनांक 07.07.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेवे। राज्य सरकार द्वारा की जा रही कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक के 1254 पदों की अविधिक बैकलॉग भर्ती के बारे में आर. टी. आई. आवेदनों पर आधे से अधिक पदों से सम्बन्धित विभागों/नियुक्ति अधिकारियों से लिखित सूचना प्राप्त हो चुकी है (प्राप्त पत्रों के क्रमांक दिनांक सहित सूची संलग्न है। पत्रों की प्रतियाँ हमारे पास उपलब्ध है) कि उनके यहाँ कोई बैकलॉग पद नहीं थे। शेष विभागों से भी जानकारी आगे आ जायेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की सम्बन्धित पूरी पत्रावली की प्रमाणित प्रति हमारे पास है जिसकी नोटशीट्स, टिप्पणियाँ, पत्राचार, आदेश स्वतः प्रमाणित करते हैं कि राज्य सरकार के पास एल.डी.सी./कनिष्ठ सहायक के कोई भी बैकलॉग पद नहीं होते हुए अविधिक रूप से 1254 पदों पर अपवित्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये भर्तियाँ की जा रही है।

उपरोक्त अविधिक भर्ती से आगामी 35-37 वर्षों में राज्य सरकार को रुपये 3,95,84,48,63,040/- की भारी भरकम राशि का नुकसान होने जा रहा है। इस अनुमानित नुकसान की गणना रिपोर्ट राज्य सरकार के लेखा मर्मज्ञ पूर्व वित्तीय सलाहकार एवं निदेशक (वित्त) श्री बी0 एस0 जोशी से भी अनुमोदित करवायी गयी है जिसके जरूरी अन्तिम दो प्रष्ठ इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग से सभी रिकार्ड तलब कर विशेष अंकेक्षण करवाया जावे, उपरोक्त 1254 पदों पर की जा रही अविधिक भर्ती को तत्काल निरस्त करावे और राज्य सरकार को होने वाले (लगभग 39585 करोड़ रुपये) नुकसान को रोकें तथा दोषी अधिकारियों को समुचित रूप से दण्डित करावे। कृपया इस पत्र/ज्ञापन को विधिक नोटिस के रूप में लें। सादर,

संलग्न :- उपरोक्त तीन ।

भवदीय

पाराशर नारायण
अध्यक्ष



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 99270-85822

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

ज
श्रधिराज राठी
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के. इमाम
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. खोणे
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठी
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दुर्गा सिंह चण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 50467

दिनांक : 07.07.2020

श्रीमान प्रिंसिपल एकाउण्टेण्ट जनरल ऑडिट-प्रथम,
कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,
स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-302005

विषय:- अनुसूचित जाति/जनजाति बैंकलॉग भर्ती घोटाले के जरिये राज्य सरकार को
हो रहे करोड़ों रूपयों के नुकसान को रोके जाने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अध्यक्ष राज्य अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आपस में मिलीभगत करके, अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये राजस्थान राज्य में 1254 कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर अजा/अजजा के बैंकलॉग पदों पर भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से भर्ती की गई हैं। जो पूरी तरह अविधिक होने के साथ-साथ राज्य सरकार के राजकोष को 30-35 वर्षों में अरबों रूपयों का अविधिक नुकसान पहुंचाने वाली है। इस कम में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में दी गई अवधि व्यतीत हो चुकी है। दुर्भाग्य से उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

आप श्रीमान की सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भेजे गये ज्ञापन की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक सुधार विभाग से सभी रिकार्ड तलब कर विशेष अंकेक्षण करवाया जावे और राज्य सरकार के राजकोष को अविधिक रूप से होने जा रहे अरबों रूपये के नुकसान को तत्काल रूकवाने का प्रयास किया जावे। आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न जरूरी दस्तावेज संलग्न है:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भेजे गये ज्ञापन दिनांक 03.07.20 की प्रति।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2020 की फोटो प्रति जिसमें बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 की प्रतिका सूचियों में से अविधिक रूप से तथाकथित बैंकलॉग रिक्तियों के लिए अजा के 576 एवं अजजा के 678 अभ्यर्थियों का चयन करके भेजा गया है।
3. कार्यालय मुख्य अभियन्ता भूजल विभाग जोधपुर का पत्र क्रमांक 28/26.06.2020 की फोटो प्रति, जिसमें अजा/अजजा के तथाकथित बैंकलॉग भर्ती के 18 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति देने में असमर्थता जताते हुये मार्गदर्शन मांगा गया है।
4. कार्यालय निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर का पत्र क्रमांक 4338/02.07.2020 मय अनुलग्नक जिसमें तथाकथित बैंकलॉग के कनिष्ठ सहायकों के 12 अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के प्रमाण दिये गये हैं।
5. प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनुच्छेद 3/2020 दिनांक 18.06.2020 की फोटो प्रति जिसके पैरा -2 में अविधिक रूप से निर्देशित किया गया है कि तथाकथित बैंकलॉग के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी वर्ग में कोई भी रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर भी प्रथमतः उन्हें नियुक्ति दी जावे उसके पश्चात वित्त विभाग से नये पद सर्जित करवा लिये जावे। त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

पाराशर नारायण

Received
8/7/20

हर ईसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78688

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया
महासचिव, मो. 094140-58282

ललित आचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ब्रह्मराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के. झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

काटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक

दिनांक :

वर्ष 2020 में अविधिक रूप से नियुक्त किये जा रहे 1254 कनिष्ठ लिपिकों को 35-37 वर्ष के कार्यकाल में दिये जाने वाली कुल वेतन राशि की गणना

“ सारणी- चार ”

क्रम	वर्ष	सारणी दो के आधार पर अविधिक नियुक्त कनिष्ठ लिपिक का अनुमानित औसत वेतन प्रतिमाह	अविधिक नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की कुल संख्या	कुल माह (वर्ष x माह)	वर्ष 2020 में अविधिक बैकलॉग नियुक्ति के कनिष्ठ लिपिकों को प्रत्येक पांच वर्षों में होने वाले औसत मासिक वेतन भुगतान के आधार पर 35-37 वर्ष में होने वाला कुल भुगतान
1	2	3	4	5	6
1	2020 to 2022	14000	1254	24	₹ 42,13,44,000
2	2022 to 2027	50408	1254	60	₹ 3,79,26,97,920
3	2027 to 2032	105421	1254	60	₹ 7,93,18,76,040
4	2032 to 2037	218311	1254	60	₹ 16,42,57,19,640
5	2037 to 2042	360846	1254	60	₹ 27,15,00,53,040
6	2042 to 2047	715158	1254	60	₹ 53,80,84,87,920
7	2047 to 2052	1369521	1254	60	₹ 1,03,04,27,60,040
8	2052 to 2057	2435831	1254	60	₹ 1,83,27,19,24,440
Total =				₹	3,95,84,48,63,040

उपरोक्त सारणी चार से स्पष्ट है कि वर्ष 2020 में जो बैकलॉग के नाम पर राजस्थान राज्य में 1254 कनिष्ठ लिपिकों/ कनिष्ठ सहायकों के पदों पर जो अविधिक भर्तियों की जा रही हैं उन पर अगले 35-37 वर्षों में लगभग 3,95,84,48,63,040/- (तीन खरब पचानवे अरब, चौसी करोड़, अड़तालीस लाख, तिरसठ हजार चालीस रुपये मात्र) का सरकारी कोष केवल वेतन के रूप में खर्च होगा।

Endorsement Note by Retd F.A./ Dir. Finance

I have gone through the calculation sheets submitted by Samta Andolan Samiti in support of projected estimated expenditure likely to be borne by the State Government on the proposed recruitment of 1254 Lower Division Clerks against backlog posts in 2020. For the first two years, the recruitee will be on fixed salary and thereafter, they will be allowed regular pay scales. The normal service length of clerical staff recruited at early age ends in 35 to 37 years of service. The base of calculation is based on the factors derived as per actual

15-10-2020

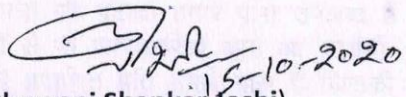
pay drawn by two LDCs since their appointment till their retirement in 2020 and their pay registers maintained meticulously.

The 7th Pay Commission Report at page No.63 has given table of increase in pay worked out by the Central Pay Commissions in percentage terms is as below:-

(in per cent)	
II CPC	14.2
III CPC	20.6
IV CPC	27.6
V CPC	31.0
VI CPC	54.0
VII CPC	14.3

On the basis of above table the projections worked out are on lesser side. And, if, any error or omission excepted and the calculation worked out is slightly reduced will put the burden of approximately Rs.39,000 Crores in total during the total service length of proposed recruitees on the State Government.

I hereby endorse the calculation sheets submitted by the Samta Andolan Samiti on the basis of best of my knowledge, may God help me.


(Bhawani Shankar Joshi)
Director (Finance), (Rtd.)
Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam Ltd.,
Jaipur.

S.No.	Department	Letter No.	Allottee Post	Remark	Special Remark
1	Director, Secondary Education Rajasthan, Bikaner	Shivra/madhy/saprb-1/kni/saha/2013/backlog/20-21/20.07.20	38	No post vacant	Posting possible after sanction of new posts by finance department
2	State Election Commission Rajasthan, Jaipur	F-1(15)Est./Ra.Ni.Aa/1994/4267/23.06.20	02	No post vacant	-
3	Office of The Divisional Commissioner, Bharatpur		04	No post vacant	-
4	Directorate, Evaluation Organisation, Yojna Bhawan, Jaipur	F-12(8)Musa/Est./982/20.03.20	02	No post vacant	No Backlog Post
5	Directorate, Women Empowerment, Jaipur	F-1(120)/Nima/Est./2015/7176/19.03.20	03	No post vacant	No Backlog Post
6	Office of The Divisional Commissioner, Jaipur	P.(7)(2)(7)Est./S.Aaj/2014/293/19.03.20	01	No post vacant	No Backlog Post
7	Office of The District Collector, Pali	F.1(1)Est./1971/Part/1394/19.03.20	16	No post vacant	All vacant post included in 2018's recruitment vacancies.
8	Office of The District Collector, Jodhpur	P.1(C-2)Navinyukt/RPSC/Est./2020/2146/30.06.20	32	No Backlog or no SC/ST post vacant	Appointed against the Steno/General or OBC post.
9	Director, Local Fund & Audit Department, Jaipur	P.1(Kh)1/Est./Nia/K.Saha./Niyu/2020/2146/30.06.20	12	No post vacant	No Backlog Post
10	Chief Engineer, Ground Water Department, Jaipur	F.3() Est./Bhu J Vi/Jodh/2020/28/26.06.20	18	No post vacant	No Backlog Post
11	Office of The District Collector, Jaipur	Est.-2/2020/617/18.08.20	42	No post vacant	New Post should be sanctioned
12	Office of The District Collector, Shri Ganganagar	F.1(23) () Est./19/7812 Dt. 21.09.20	22	No Backlog	
13	Office of The District Collector, Ajmer	K.A./Est./F.(02)(02)/2020/2116 dated 14.03.20	63	No Backlog	All vacant post included in 2018's recruitment vacancies.
14	Office of The District Collector, Sawai Madhopur	P.2(1)1/SC-ST/R Avsesh/Est./12/418 dt. 22.01.19	14	No Backlog	
15	Directorate, State Insurance and provident Fund, Jaipur	F1(a) 49/ Part-6/Sansha/bima/2020/4218 Dated 21.07.2020	29	No Post Vacant	Posting Possible after Saction of new Posts by Finance Department
16	Total		645		



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया

महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर

ऋषिराज राठौड़

मो. 9694348039

अजमेर

एन. के. झामड़

मो. 9414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गोयल

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

मो. 9414085447

कोटा

डॉ. अनिल शर्मा

मो. 9414662244

उदयपुर

दुल्हा सिंह चूणडावत

मो. 9571875488

क्रमांक 50259

दिनांक :

03.07.2020

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर।

श्री आवश्यक

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग भर्ती घोटाला; राज्य सरकार को खरबों रुपये का चूना; करोड़ों का खेल; दोषियों को पहुंचाओं जेल।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम आपका ध्यान अजा/अजजा के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 1254 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है, जिसमें श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. के साथ कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से इस अविधिक, असंवैधानिक भर्ती प्रक्रिया को चलाया है। इस भ्रष्ट एवं प्रदेश को शर्मसार करने वाली भर्ती प्रक्रिया से राज्य सरकार को आने वाले 30-35 वर्षों में खरबों रुपयों का अविधिक नुकसान होना तय है। आप कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान दें:-

1. कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-11 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांक 16.04.2018 को कुल 11255 पदों के लिए जारी किया गया था। इसकी संशोधित विज्ञापित दिनांक 04.06.2018 में आरपीएससी द्वारा 9 पदों की अर्थना को बढ़ाकर 28 पदों की अर्थना किया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.03.2019 को अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ और पद बढ़ाने की घोषणा की गई जिसके अनुसार कुल 12092 पदों पर भर्ती किया जाना सूचित किया गया। इन तीनों ही विज्ञापनों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण की गणना करते हुये वर्गवार आरक्षित पदों को भी दर्शाया गया था। किसी भी वर्ग में कोई भी बैकलॉग का पद नहीं दर्शाया गया था। जो यह प्रमाणित करता है कि किसी भी सरकारी विभाग में अजा/अजजा के बैकलॉग के कोई पद नहीं थे।
2. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात भी अजा/अजजा वर्ग के लिए एक भी पद अपूरित (अनफिल्ड) नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भी कोई बैकलॉग का पद नहीं था।
3. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को परिपत्र जारी करके सभी विभागों को आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 29.05.2020 को पुनः एक परिपत्र आदेश जारी करके यह सख्त निर्देश दिये गये कि किसी भी सूरत में 20.08.2020 तक सभी विभागों में आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित कर लिये जावें। और 30 अगस्त तक अपने विभाग के सचिवों के माध्यम से आरक्षण रोस्टर रजिस्टर संधारित किये जाने संबंधित प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग को अनिवार्य रूप से भेजे जाए। इन परिपत्रों से यह प्रकटतः प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी सेवा संवर्ग के रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं किये जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के बिना वर्गवार बैकलॉग पदों का निर्धारण संभव ही नहीं है।



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया

महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर

ऋषिराज राठौड़

मो. 9694348039

अजमेर

एन. के. झामड़

मो. 9414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गोयल

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

मो. 9414085447

कोटा

डॉ. अनिल शर्मा

मो. 9414662244

उदयपुर

दुल्हा सिंह चूण्डावत

मो. 9571875488

(2)

क्रमांक

दिनांक :

4. उपरोक्त 1254 बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया, कोई नई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई, वरन् वर्ष 2018 की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात अजा/अजजा के जो भी अभ्यर्थी तथाकथित प्रतीक्षा सूची में बताए गये उन्हें ही अविधिक रूप से बैकलॉग पदों पर चयनित मान लिया गया।
5. हमारे पास ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिस-जिस विभाग में भेजा जा रहा है उन विभागों में अजा/अजजा के कोई भी पद रिक्त है ही नहीं। विभागों द्वारा बिना रिक्त पदों के अजा/अजजा के तथाकथित बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।
6. उपरोक्त बैकलॉग भर्ती घोटाले में संलिप्त श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. के साथ अन्य अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने आपस में मिलीभगत करके और भ्रष्टाचार की राशि को पचाने के दुराशय से दिनांक 18.06.2020 को एक अन्य आदेश क्रमांक प.1(2)प्र. सु./अनु.-3/2020 जारी करके राज्य के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव को ये अविधिक निर्देश दिये हैं कि यदि उनके पास अजा/अजजा के रिक्त पद नहीं है तो तथाकथित बैकलॉग के नाम से चयनित अभ्यर्थियों को अन्य वर्गों के रिक्त पदों पर कार्यग्रहण करवा लिया जावे। इससे भी आगे बढ़कर ये भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी भी वर्ग में कोई भी पद रिक्त नहीं हो तो भी इन तथाकथित बैकलॉग भर्तियों पर आये अभ्यर्थियों को प्रथमतः कार्यग्रहण करवाया जावे एवं उसके पश्चात वित्त विभाग से न्यक्ति अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पद सर्जित करवा लिये जावे। यह आदेश स्वतः ही इस भर्ती घोटाले का अकाट्य प्रमाण है कि श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. द्वारा कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उपरोक्त भर्ती घोटाले को अज्जाम दिया गया है। हमारे पास यह भी जानकारी है कि कुछ विधायकों द्वारा अपने नीहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक राय होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी दवाब में लेकर इस अविधिक भर्ती प्रक्रिया को अनुमोदित करने के लिए बाध्य किया गया है।

उपरोक्त अविधिक, असंवैधानिक एवं भ्रष्टाचारपूर्ण भर्ती घोटाले की तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस अविधिक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए; प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री महोदय की छवि को धूमिल होने से बचाया जाए; प्रदेश को आने वाले 30-35 वर्षों में खरबों रुपये का अविधिक एवं असंवैधानिक नुकसान होने से बचाया जाए। अभी हम यह आग्रह पत्र केवल आप श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। हम इस शर्मनाक प्रकरण को उजागर करके प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करना नहीं चाहते हैं। यदि आप श्रीमान तीन दिवस में इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके हमें सूचित करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें मजबूर होकर व्यापक जनहित में इस प्रकरण को आगे ले जाना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आप श्रीमान की होगी।

भवदीय

पाराशर नारायण

अध्यक्ष

क्रमांक: 50262-50461, दिनांक 06.07.2020

प्रति:- सभी सम्माननीय विधायकों कोसादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।